प्रस्तावना

जुलाई 1968 में आयोजित राष्ट्रीय ऋण परिषद की बैठक में इस बात पर जोर दिया गया था कि वाणिज्य बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र, अर्थात् कृषि और लघु उद्योग क्षेत्र के वित्तपोषण हेतु ज्यादा प्रतिबद्धता दिखाएं। बाद में, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम से सम्बन्धित आंकड़ों के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मई 1971 में गठित अनौपचारिक अध्ययन दल की रिपोर्ट के आधार पर 1972 के दौरान प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के स्वरुप को औपचारिक अभिव्यक्ति प्रदान की गई । उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को अग्रिम की रिपोर्ट मंगवाने हेतु एक संशोधित विवरणी निर्धारित की और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के विभिन्न वर्गों के अंतर्गत शामिल की जानेवाली योग्य मदों को इंगित करने के प्रयोजन से कतिपय दिशा-निर्देश भी जारी किये । हालांकि, प्रारम्भ में प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधारों के अंतर्गत कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गए थे फिर भी, नवम्बर 1974 में बैंकों को सूचित किया गया कि वे मार्च 1979 तक अपने सकल अग्रिमों में इन क्षेत्रों को देय अग्रिमों का प्रतिशत बढ़ाकर 33 1/3% कर दें।

केन्द्रीय वित्त मंत्री और सरकारी क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों के बीच मार्च 1980 में आयोजित एक बैठक में इस बात पर सहमति व्यक्त की गई कि बैंकों का लक्ष्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को देय अग्रिमों का अनुपात मार्च 1985 तक बढ़ाकर 40 प्रतिशत करने का हो। बाद में, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार तथा 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम को बैंकों द्वारा लागू किये जाने विषयक तौर-तरीकों के निरुपण हेतु गठित कार्यकारी दल (अध्यक्षः डॉ. के.एस.कृष्णस्वामी) की सिफारिशों के आधार पर सभी वाणिज्य बैंकों को सूचित किया गया कि वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को सकल बैंक अग्रिमों का 40% उधार देने का लक्ष्य 1985 तक प्राप्त करें। कृषि तथा कमज़ोर वर्गों की ऋण सहायता हेतु प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के दायरे में ही उप-लक्ष्य भी निर्दिष्ट किये गए थे । तब से अब तक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत देय उधारों तथा विभिन्न बैंक समूहों पर लागू लक्ष्यों तथा उप-लक्ष्यों में कई बार परिवर्तन हुए हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक में गठित आंतरिक कार्यकारी दल (अध्यक्षः श्री सी.एस.मूर्ति) द्वारा सितंबर 2005 में की गई सिफारिशों के आधार पर उक्त दिशानिर्देशों में इसके पहले वर्ष 2007 में संशोधन किया गया था। साथ ही, माइक्रो वित्त संस्था (एमएफआइ) क्षेत्र में मामलों और मुद्दों के अध्ययन हेतु गठित रिज़र्व बैंक के केन्द्रीय बोर्ड की उप-समिति (अध्यक्ष : श्री वाय.एच.मालेगाम) ने अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की थी कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को उधार संबंधी दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाए।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने प्राथमिकता प्रा प्त क्षेत्र के उधार संबंधी वर्तमान वर्गीकरण की पुनः जांच करने और प्राथमिकता प्रा प्त क्षेत्र के उधार संबंधी वर्गीकरण और संबंधित वि षयों पर संशोधित दिशानिर्देश सुझाने के लिए अगस्त 2011 में एक समिति (अध्यक्ष एम . वी . नायर) गठित की थी । उक्त समिति की सिफारिशें टि प्पणी के लिए पब्लिक डोमेन पर डा ली ग ई थी । उक्त सुझावों की विभिन्न स्टेकधारियों से प्राप्त टिप्पणियों की तुलना में भी जांच की गई। उपर्युक्त के आधार पर तथा मानदंडों को सरल बनाने की दृष्टि से निम्नलिखित दिशानिर्देश निर्धारित किए गए है:

I प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत श्रेणियां

i) कृषि
ii) माइक्रो और लघु उद्यम
iii) शिक्षा
iv) आवास
v) निर्यात ऋण
vi) अन्य

उपर्युक्त श्रेणियों के अंतर्गत पात्र गतिविधियां पैरा III में निर्दिष्ट की गई हैं

II प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के लक्ष्य/ उप्-लक्ष्य

भारत में परिचालित देशी और विदेशी बैंकों के लिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार के लक्ष्य/सह-लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:

श्रेणी	**घरेलू वाणिज्यिक बैंक/ 20 और उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंक**	**20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंक**
कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	समायोजित निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत (नीचे उप पैरा (iii) में परिभाषित एएनबीसी) अथवा तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र राशि के सममूल्य ऋण, जो भी उच्चतर हो।	एएनबीसी का 32 प्रतिशत अथवा तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र राशि के सममूल्य ऋण, जो भी उच्चतर हो।
कुल कृषि	एएनबीसी का 18 प्रतिशत अथवा तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र राशि के सममूल्य ऋण, जो भी उच्चतर हो। इसमें से एएनबीसी का 4.5 प्रतिशत अथवा तुलन-पत्र से इतर एक्सपोज़र राशि के सममूल्य ऋण जो भी उच्चतर हो, से अधिक के अप्रत्यक्ष उधार को 18 प्रतिशत लक्ष्य के अंतर्गत उपलब्धि की गणना के लिए नहीं गिना जाएगा। फिर भी, 'प्रत्यक्ष' और 'अप्रत्यक्ष', श्रेणियों के अंतर्गत सभी कृषि ऋणों को एएनबीसी का 40 प्रतिशत अथवा तुलनपत्र से इतर एक्सपोज़र राशि के सममूल्य ऋण, जो भी उच्चतर हो, को समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र लक्ष्य के अंतर्गत उपलब्धि की गणना के लिए गिना जाएगा।	कोई विशेष लक्ष्य नहीं है। यह कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र लक्ष्य का भाग है।
माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई)	i)माइक्रो और लघु उद्यम क्षेत्र अग्रिमों को एएनबीसी का 40 प्रतिशत अथवा तुलनपत्र से इतर एक्सपोज़र के	कोई विशेष लक्ष्य नहीं। यह कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लक्ष्य का एक भाग

	सममूल्य राशि के ऋण, जो भी उच्चतर हो, को समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र लक्ष्य के अंतर्गत उपलब्धि की गणना के लिए गिना जाएगा। ii)माइक्रो और लघु उद्यम क्षेत्र का कुल अग्रिम का 40 प्रतिशत 5 लाख रुपए तक के प्लांट और मशीनरी में निवेश वाले माइक्रो (विनिर्माण) उद्यम में और 2 लाख रुपए तक उपकरण में निवेश वाले माइक्रो (सेवा) उद्यम में जाएगा। iii)माइक्रो और लघु उद्यम क्षेत्र का कुल अग्रिम का 20 प्रतिशत 5 लाख रुपए से ऊपर और 25 लाख रुपए तक के प्लांट और मशीनरी में निवेश वाले माइक्रो (विनिर्माण) उद्यम में और 2 लाख रुपए के ऊपर और 10 लाख रुपए तक के उपकरण में निवेश वाले माइक्रो (सेवा) उद्यम में जाएगा।	होगा।
निर्यात ऋण	निर्यात ऋण अलग श्रेणी नहीं है। कृषि तथा माइक्रो और लघु उद्यम (एमएसई) के अंतर्गत पात्र कार्यकलापों को निर्यात ऋण संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के लिए गिना जाएगा।	कोई विशेष लक्ष्य नहीं है। यह कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र लक्ष्य का एक भाग होगा।
कमज़ोर वर्गों को अग्रिम	एएनबीसी का 10 प्रतिशत अथवा तुलनपत्र से इतर एक्सपोज़र की सममूल्य राशि का ऋण, जो भी उच्चतर हो।	कुल प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र लक्ष्य में कोई विशेष लक्ष्य नहीं है।

ii) 20 और उससे अधिक शाखाओं वालें विदेशी बैंकों के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य और उप- लक्ष्यों को 1 अप्रैल 2013 से प्रारंभ होनेवाली तथा 31 मार्च 2018 को समाप्त होनेवाली पांच वर्षों की अधिकतम अवधि में पूरा किया जाना है । 20 और उससे अधिक शाखावाले विदेशी बैंक एक विशिष्ट समयावधि में उक्त लक्ष्य को पूरा करने के संबंध में रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित किए जाने के लिए यथाशीघ्र 31 दिसंबर 2012 तक एक कार्रवाई योजना प्रस्तुत करेंगे। इस परिपत्र में इन बैंकों के लिए किए जानेवाले बाद के संदर्भ उक्त अनुमोदित प्लानों के अनुसरण में होंगे ।

iii) प्राथामिकता प्राप्त क्षेत्र के चालू वर्ष के लक्ष्यों तथा उप-लक्ष्यों की समीक्षा गलत समायोजित निवल बैंक ऋण (एनएनबीसी) अथवा पिछले 31 मार्च के तुलन पत्र से इतर एक्सपोजरों के सममूल्य ऋण के आधार पर की जाएगी। चालू वर्ष के 31 मार्च को विद्यमान बकाया प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋणों की गणना प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्यों और उपलक्ष्यों को प्राप्त किए जाने के लिए की जाएगी । प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋणों के प्रयोजन के लिए एएनबीसी से आशय भारत में बकाया बैंक ऋण [भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 42 (2) के अंतर्गत फार्म 'ए' (31 मार्च की स्थिति संबंधी विशेष विवरणी) की मद सं. VI में निर्धारित] से है जिनमें से रिज़र्व बैंक और अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं के पास पुन: भुनाए गए बिलों तथा परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी में किए गए निवेश अधिक ऐसे अन्य श्रेणियों में किए गए निवेश को घटाया जाए जो प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार के भाग के रूप में माने जाने के पात्र हों (अर्थात प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निवेश) को जोड़ा जाए । बैंकों द्वारा नाबार्ड/ सिडबी/ एनएचबी जैसा भी मामला हो, के पास प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार संबंधी लक्ष्यों/ उप-लक्ष्यों को पूरा न करने के बदले में रखी जानेवाली जमाराशियों को एएनबीसी के लिए गणना हेतु हिसाब में नहीं लिया जाएगा, हालाकि उन्हें तुलनपत्र की मद I (vi) में 'अनुसूची 8 – निवेश' के अंतर्गत दर्शाया जाता है । बैंक, तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर राशि के सममूल्य

की गणना के लिए बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग द्वारा एक्सपोजर मानदंडों पर जारी मास्टर परिपत्र से मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं।

समायोजित निवल बैंक ऋण की गणना

भारतीय रिज़र्व बैंक आधिनियम,1934 की धारा 42(2) के अंतर्गत भारत में बैंक ऋण (फार्म 'ए '(31 मार्च की स्थिति संबंधी विशेष विवरणी) की मद सं.VI में यथा निर्धारित)।	I
रिज़र्व बैंक तथा अन्य अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं के पास पुनः भुनाए गए बिल	II
निवल बैंक ऋण (एनबीसी)*	III (I-II)
एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत गैर एसएलआर श्रेणी में निवेश + प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में माने जाने के पात्र अन्य निवेश	IV
एएनबीसी	III + IV

* केवल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के प्रयोजन के लिए ही। बैंक एनबीसी में से प्रावधानों, उपचित ब्याज आदि जैसी किसी राशि को न घटाए/ न निवल बनाए।

यह देखा गया है कि कुछ बैंक उपर्युक्त प्रकार से बैंक ऋण की रिपोर्टिंग में कारपोरेट / प्रधान कार्यालय स्तर पर बट्टे खाते डाली गई विवेकपूर्ण राशि को घटाते हैं। ऐसे मामलोंं में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र और अन्य सभी उप क्षेत्रों को बैंक ऋण जो इस प्रकार बट्टे खाते डाला गया हो, को भी प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र और उप लक्ष्यों की उपलब्धि में से घटाया जाना चाहिए।

iv) माइक्रो और लघु उद्यम खंड (एमएसई) के भीतर माइक्रो उद्यमों के लिए लक्ष्यों की गणना पिछले 31 मार्च को विद्यमान एमएसई को दिए गए बकाया ऋण के संदर्भ में की जाएगी।

III प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत आनेवाली श्रेणियों का वर्णन

1. कृषि

1.1 प्रत्यक्ष वित्त

अलग-अलग किसानों [स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) या संयुक्त देयता समूहों (जीएलजी) अर्थात् अलग-अलग किसानों के समूहों सहित बशर्ते बैंक ऐसे ऋणों का विभाजित डाटा रखते हों] को कृषि तथा उससे संबद्ध कार्यकलापों (डेरी, मत्स्य पालन, सूअर पालन, मुर्गी पालन, मधु-मक्खी पालन और रेशम उद्योग (कोवा) ककून स्टेज तक) के लिए वित्त

(i) किसानों को फसल उगाने के लिए अल्पावधि ऋण अर्थात् फसल ऋण।
इसमें पारंपरिक / गैर-पारंपरिक बागान एवं उद्यान और उससे संबद्ध गतिविधियां शामिल होंगी।

(ii) कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए मध्यम और दीर्घावधि ऋण (कृषि उपकरणों और मशीनरी की खरीद, खेत में सिंचाई तथा खेत में किए जानेवाले अन्य विकासात्मक कार्यकलाप एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए विकास ऋण)।

(iii) किसानों को फसल काटने से पूर्व और फसल काटने के बाद किए गए अपने कार्यकलापों जैसे छिड़काव, निराई (वीडिंग), फसल कटाई, श्रेणीकरण (ग्रेडिंग), छंटाई तथा अपनी कृषि उपज के परिवहन के लिए ऋण।

(iv) किसानों को 12 माह की अनधिक अवधि के लिए कृषि उपज (गोदाम रसीदों सहित) को गिरवी / दृष्टिबंधक रखकर 25 लाख रू. तक के ऋण, चाहे किसानों को फसल उगाने के लिए फसल ऋण दिए गए हों या नहीं।

(v) कृषि प्रयोजन हेतु जमीन खरीदने के लिए छोटे और सीमांत किसानों को ऋण।

(vi) गैर संस्थागत उधारदाताओं के प्रति ऋणग्रस्त आपदाग्रस्त किसानों को ऋण।

(vii) ऐसी प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पीएसीएस) कृषक सेवा समितियां (एफएसएस) और बडे आकारवाली आदिवासी बहुउद्देशीय समितियां (एलएमपीएस) जो कृषि और संबद्ध गतिविधियों के लिए किसानों को आगे ऋण प्रदान करने के लिए ऐसे बैंकों द्वारा स्वीकृत अथवा प्रबंधित/नियंत्रित हों, को दिए जानेवाले बैंक ऋण।

viii) किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को ऋण।

ix) अपने स्वयं के कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए किसानों को निर्यात ऋण।

1.2 अप्रत्यक्ष कृषि

1.2.1 कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलाप [(डेरी,मत्स्य पालन, सूअर पालन, मुर्गी पालन, मधु-मक्खी पालन, रेशिम उद्योग (ककून स्तर तक)] करनेवाली कंपनियों, साझेदारी फर्मों तथा संस्थाओं को ऋण

i. फसल उगाने के लिए अल्पावधि ऋण अर्थात् फसल ऋण ।

इसमें पारंपरिक / गैर-पारंपरिक बागान एवं उद्यान तथा संबद्ध गतिविधियां शामिल होंगी ।

ii. कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए मध्यम और दीर्घावधि ऋण (कृषि उपकरणों और मशीनरी की खरीद, खेत में सिंचाई तथा खेत में किए जानेवाले अन्य विकासात्मक कार्यकलाप एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए विकास ऋण)।

iii. फसल काटने से पूर्व और फसल काटने के बाद किए गए कार्यकलापों जैसे छिड़काव, निराई (वीडिंग), फसल कटाई, श्रेणीकरण (ग्रेडिंग), छंटाई के लिए ऋण।

iv. कृषि उत्पाद (गोदाम रसीदों सहित) के गिरवी/ दृष्टिबंधन पर किसानों को 12 महीनों से अनधिक की अवधि के लिए 25 लाख रुपए तक के ऋण चाहे किसानों को उक्त उत्पाद की उगाही के लिए फसल ऋण दिया गया हो अथवा नहीं।

v. कारपोरेटों,साझेदारी फर्मों और संस्थाओं को अपने स्वयं की कृषि उपज के निर्यात के लिए निर्यात ऋण।

vi. कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए कंपनी अधिनियम, 1956 के भाग IX ए के अंतर्गत केवल छोटे और सीमांत कृषकों के लिए स्थापित उत्पादक कंपनियों को 5 करोड़ रुपए तक के ऋण।

vii. इस परिपत्र के पैरा III (1.1) (vii) में शामिल न की गई प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पीएसीएस), कृषक सेवा समितियों (एफएसएस) और बड़े आकारवाली आदिवासी बहु-उद्देशीय समितियों (एलएएमपीएस) को बैंक ऋण।

1.2.2 अन्य अप्रत्यक्ष कृषि ऋण

(i) उर्वरक, कीटनाशक दवाइयों, बीजों, पशु खाद्य, मुर्गी आहार, कृषि औजारों और निविष्टियों के डीलर्स/खरीदारों को प्रति उधारकर्ता 1 करोड रुपए तक का ऋण।

(ii) एग्री क्लिनिक और एग्री बिजनेस की स्थापना के लिए ऋण ।

(iii) सदस्यों के उत्पाद का निपटान करने के लिए कृषकों की सहकारी समितियों को 5 करोड रुपए तक के ऋण।

(iv) कस्टम सेवा इकाइयों को ऋण जिनका प्रबंध व्यक्तियों, संस्थाओं या ट्रैक्टरों, बुलडोज़रों, कुआं खोदने के उपस्करों, थ्रेशर, कंबाइन्स आदि का दस्ता रखनेवाले और किसानों का काम ठेके पर करनेवाले संगठनों द्वारा किया जाता है।

(v) कृषि उत्पाद / उत्पादनों के भंडारण के लिए बनाई गई कोल्ड स्टोरेज इकाइयों, (भंडारघर, बाज़ार प्रांगण, गोदाम और साइलो) चाहे वे कहीं भी स्थित हों, सहित भंडारण सुविधाओं का निर्माण और उन्हें चलाने के लिए ऋण।

यदि स्टोरेज इकाई माइक्रो या लघु उद्यम हो, तो ऐसे ऋण को माइक्रो और लघु उद्यम क्षेत्र को ऋण के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा।

(vi) इस परिपत्र के पैरा vii में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए किसानों को आगे ऋण प्रदान करने हेतु एमएफआइ को ऋण।

(vii) एसएचजी – बैंक सहलग्नता कार्यक्रम के अंतर्गत एसएचजी सदस्यों को कृषि प्रयोजनों के लिए आगे उधार दिए जाने हेतु एसएचजी को बढ़ावा देनेवाले एनजीओ को स्वीकृत ऋण। एनजीओ /एसएसजी को बढ़ावा देनेवाली

संस्था द्वारा लगाए जानेवाला सर्वसमावेशक ब्याज उधार देनेवाले बैंक की आधार दर अधिक वार्षिक 8 प्रतिशत से अनधिक हो।

(viii) कृषि और उससे संबद्ध कार्यकलापों को आगे उधार देने के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को प्रदत्त ऋण।

2. माइक्रो (व्यष्टि) और लघु उद्यम

माइक्रो, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा 29 सितम्बर 2006 के एस.ओ. 1642(ई) द्वारा अधिसूचित प्रकार से विनिर्माण सेवा उद्यम के लिए संयंत्र और मशीनरी/उपकरणों में निवेश की सीमाएं निम्नानुसार हैं :

विनिर्माण क्षेत्र	
उद्यम	**संयंत्र और मशीनरी में निवेश**
माइक्रो (व्यष्टि) उद्यम	पच्चीस लाख रुपए से अधिक न हो
लघु उद्यम	पच्चीस लाख रुपए से अधिक परंतु पांच करोड रुपए से अधिक न हो
सेवा क्षेत्र	
उद्यम	**उपकरणों में निवेश**
माइक्रो (व्यष्टि) उद्यम	दस लाख रुपए से अधिक न हो
लघु उद्यम	दस लाख रुपए से अधिक परंतु दो करोड़ रुपए से अधिक न हो

विनिर्माण और सेवा दोनों के माइक्रो और लघु उद्यमों को दिए जानेवाले बैंक ऋण प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निम्नानुसार वर्गीकृत किए जाने के पात्र होंगे ।

2.1 प्रत्यक्ष वित्त

2.1.1 विनिर्माण उद्यम

उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम 1951 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट किसी उद्योग के लिए विनिर्माण या वस्तुओं के उत्पादन में लगी माइक्रो और लघु उद्यम संस्थाएं। विनिर्माण उद्यमों को संयंत्र और मशीनरी में निवेश के अनुसार परिभाषित किया गया है ।

2.1.1.1 खाद्यान्न तथा एग्रो प्रसंस्करण के लिए ऋण

खाद्यान्न तथा एग्रो प्रसंस्करण के लिए ऋणों को माइक्रो और लघु उद्यमों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा बशर्ते यूनिट एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 में किए गए प्रावधान के अनुसार माइक्रो और लघु उद्यमों के लिए निर्धारित निवेश मानदंड पूरा करते हों ।

2.1.2 सेवा उद्यम

एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के अंतर्गत उपकरणों में निवेश के अनुसार परिभाषित और सेवाएं उपलब्ध कराने या प्रदान करने में लगे माइक्रो और लघु उद्यमों को प्रति यूनिट 1 करोड़ रुपए तक का बैंक ऋण।

2.1.3 एमएसई यूनिटों (विनिर्माण और सेवा दोंनों) को उनके द्वारा उत्पादित वस्तुओं/सेवाओं के निर्यात के लिए निर्यात ऋण।

2.1.4 खादी और ग्रामद्योग क्षेत्र (केवीआई)

परिचालनों के आकार, अवस्थिति तथा संयंत्र और मशीनरी में मूल निवेश की राशि पर ध्यान दिए बगैर खादी-ग्राम उद्योग क्षेत्र की ईकाइयों को प्रदत्त सभी ऋण। ऐसे अग्रिम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत माइक्रो और लघु उद्योग खंड के भीतर माइक्रो उद्यम हेतु निर्धारित 60 प्रतिशत के उप-लक्ष्य के अधीन वर्गीकृत किए जाने के पात्र होंगे।

2.2 अप्रत्यक्ष वित्त

i) काश्तकारों, ग्राम और कुटीर उद्योगों को निविष्टियों की आपूर्ति और उनके उत्पादन के विपणन के विकेंद्रीकृत सेक्टर को सहायता प्रदान करनेवाले व्यक्तियों को ऋण।

ii) विकेंद्रित सेक्टर अर्थात् काश्तकार तथा ग्राम और कुटीर उद्योग के उत्पादकों की सहकारी समितियों को ऋण।

iii) एमएफआई को आगे इस परिपत्र के पैरा VIII में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार एमएसई सेक्टर को ऋण देने के लिए बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण।

3. शिक्षण

व्यावसायिक पाठ्यक्रमों सहित शिक्षा के प्रयोजनों के लिए व्यक्तियों को भारत में अध्ययन के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण और विदेश में अध्ययन के लिए 20 लाख रुपए तक का ऋण।

4. आवास

i. प्रति परिवार एक निवासी यूनिट की खरीद/ निर्माण करने के लिए बैंक के अपने कर्मचारी को स्वीकृत ऋण को छोड़कर दस लाख से अधिक की आबादीवाले महानगरीय केंद्रों में 25 लाख रुपए तक तथा अन्य केंद्रों में 15 लाख रुपए तक का ऋण।

ii. परिवारों के क्षतिग्रस्त निवासी यूनिटों की मरम्मत के लिए ग्रामीण तथा अर्द्ध शहरी क्षेत्रों में 2 लाख रुपए तक और शहरी एवं महानगरीय क्षेत्रों में 5 लाख रुपए तक का ऋण।

iii. किसी सरकारी एजेंसी को आवास इकाई के निर्माण अथवा गंदी बस्तियों को हटाने और गंदी बस्तियों में रहनेवालों के पुनर्वास के लिए प्रदान वित्तीय सहायता,जिसकी अधिकतम सीमा 5 लाख रूपए प्रति निवास इकाई से अधिक न हो।

iv. केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और न्यून आय समूह के लोगों के लिए मकान बनवाने के प्रयोजन संबंधी आवास परियोजनाओं हेतु जिनकी कुल लागत प्रति निवास यूनिट 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और न्यून आय समूह के लोगों की पहचान के प्रयोजन के लिए वार्षिक 1,20,000 रुपए पारिवारिक आय सीमा निर्धारित है, चाहे स्थान कुछ भी क्यों न हो।

5. निर्यात ऋण

20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले निर्यात ऋण को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लक्ष्य की उपलब्धि के लिए हिसाब में लिया जाएगा।

जहां तक देशी बैंकों तथा 20 और उससे अधिक शाखाओंवाले विदेशी बैंकों का प्रश्न है, निर्यात ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अलग श्रेणी नहीं है। इस परिपत्र के पैरा (III) (1.1) (ix), (III) (1.2.1) (v) (III) (2.1.3) में उल्लिखित निर्यात ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों अर्थात कृषि और एमएसई क्षेत्र में गिने जाएंगे।

6 अन्य

6.1 बैंकों द्वारा व्यक्तियों और उनके एसएचजी/ जेएलजी को सीधे दिए जानेवाले प्रति उधारकर्ता 50,000/- तक के ऋण, बशर्ते उधारकर्ता की घरेलू वर्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 60,000/- रुपए से अनधिक हो और गैर-ग्रामीण क्षेत्रों में यह 1,20,000/- रुपए से अधिक न हो।

6.2 आपदाग्रस्त व्यक्तियों (पहले ही III (1.1) (vi) के अंतर्गत शामिल किसानों को छोड़कर) को उनके गैर संस्थागत ऋणदाताओं के कर्ज की पूर्व अदायगी के लिए प्रति उधारकर्ता 50,000/- रूपए से अनधिक के ऋण।

6.3 सामान्य क्रेडिट कार्ड (जीसीसी) के अंतर्गत सामान्य प्रयोजनों के लिए ऋणों के अंतर्गत बकाया ऋण।

यदि जीसीसी के अंतर्गत ऋण माइक्रो और लघु उद्यमों को स्वीकृत किए जाते हैं तो ऐसे ऋणों को माइक्रो और लघु उद्यमों की संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाए।

6.4 नो-फ्रील/ बुनियादी (बेसीक) बैंकिंग /बचत खातों पर प्रदत्त 50,000/- रूपए (प्रति खाता) तक के ओवरड्राफ्ट, बशर्ते उधारकर्ता की घरेलू वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में 60,000/- अनधिक हो और गैर ग्रामीण क्षेत्रों में यह 1,20,000/- से अनधिक हो।

6.5 अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए राज्य प्रायोजित संगठनों को इन संगठनों के लाभार्थियों को निविष्टियों की खरीद और आपूर्ति और/या उनके उत्पादनों के विपणन के विशिष्ट प्रयोजन के लिए स्वीकृत ऋण।

6.6 बैंकों द्वारा सीधे व्यक्तियों को ऑफ ग्रिड सौर (सोलार) स्थापित करने तथा परिवारों (हाउसहोल्ड) के लिए अन्य ऑफ ग्रिड नवीकरणीय ऊर्जा उपायों करने के लिए स्वीकृत ऋण।

IV <u>कमज़ोर वर्ग</u>

निम्नलिखित उधारकर्ताओं को दिए जानेवाले प्राथमिताकता प्राप्त क्षेत्र ऋण कमज़ोर वर्गो की श्रेणी के अंतर्गत शामिल हैं :

क) छोटे और सीमान्त किसान;

ख) काश्तकार,ऐसे ग्रामीण और कुटीर उद्योग जिनकी व्यक्तिगत ऋण सीमा 50,000/- रुपए से अधिक न हो ;

ग) स्वर्ण जयन्ती ग्रामस्वरोजगार योजना(एसजीएसवाइ) अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के लाभार्थी ;

घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियां ;

ङ) विभेदक ब्याज दर योजना (डीआरआइ) के लाभार्थी;

च) स्वर्णजयन्ती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाइ) के लाभार्थी;

छ) स्वच्छकारों की पुनर्वास योजना (एसआरएमएस) के लाभार्थी;

ज) स्वयं सहायता समूहों को ऋण;

झ) गैर संस्थागत उधारदाताओं के प्रति ऋणग्रस्त आपदाग्रस्त किसानों को ऋण;

ञ) गैर संस्थागत उधारदाताओं के प्रति ऋण ग्रस्त किसानों को छोड़कर व्यक्तियों को अपने ऋण की पूर्व अदायगी हेतु ऋण।

ट) अलग-अलग महिला लाभार्थियों को प्रति उधारकर्ता रु. 50,000/- तक के ऋण;

ठ) समय-समय पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किये जाने वाले अल्प संख्यांक समुदाय के व्यक्तियों को ऊपर्युक्त (क) से (ट) तक के अंतर्गत दिये गये ऋण।

उन राज्यों में जहां अल्पसंख्यांक समुदायों में से एक समुदाय अधिसूचित, वस्तुत: मेजॉरिटी में, है वहां मद सं (I) में केवल अन्य अधिसूचित अल्पसंख्यांक ही शामिल होंगे। ये राज्य /संघशासित क्षेत्र हैं - जम्मू और कश्मीर, पंजाब मेघालय, मज़ोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप।

V बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निवेश

(i) बैंकों द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियों में निवेश, जो अन्य श्रेणी को छोंडकर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों का द्योतक हैं, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) के अंतर्गत निहित आस्तियों के आधार पर वर्गीकरण के लिए पात्र है बशर्ते

(क) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रतिभूतिकृत आस्तियां मूलत: बनायी जाती हैं और वे प्रतिभूतिकरण के पहले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत जाने की पात्र हैं और प्रतिभूतिकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को पूरा करती हों।

(ख) मूल संस्था द्वारा अंतिम उधारकर्ता से लिया जानेवाला सर्वसमावेशक ब्याज निवेशक बैंक की आधार दर अधिक वार्षिक 8 प्रतिशत से अधिक न हो।

एमएफआइ द्वारा मूलत: निर्मित प्रतिभूतिकृत आस्तियों में ऐसे निवेश जो इस परिपत्र के पैरा VIII में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करते हुए किए हों, इस उच्चतम ब्याज से छूट प्राप्त हैं क्योंकि मार्जिन और ब्याज दर पर अलग से उच्चतम सीमाएं हैं।

ii) एनबीएफसी द्वारा मूलत: निर्मित प्रतिभूतिकृत आस्तियों में किए गए निवेश जिनमें निहित आस्तियां स्वर्ण आभूषण की जमानत पर होती हैं, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र स्थिति के लिए पात्र नहीं हैं ।

VI) सीधे एसाइनमेंट/आउटराइट खरीद के माध्यम से आस्तियों का अंतरण

i) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा एसाइनमेंट/आस्तियों के समूह की आउटराइट खरीद जो 'अन्य श्रेणी' को छोड़कर प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष) की विभिन्न श्रेणियों की द्योतक है, प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने की पात्र होगी, बशर्ते ..

(क) आस्तियां बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा मूलत: निर्मित हों और वे खरेद के पहले प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र अग्रिमों के रूप में वर्गीकृत जाने की पात्र हैं और प्रतिभूतिकरण के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों को पूरा करती हों।

(ख) इस प्रकार खरीदी जानेवाली पात्र ऋण आस्तियों का निपटान चुकौती को छोड़कर किसी अन्य रूप में से नहीं किया जाना चाहिए।

(ग) मूल संस्था द्वारा अंतिम उधारकर्ता से लिया जानेवाला सर्वसमावेशक ब्याज निवेशक बैंक की आधार दर अधिक वार्षिक 8 प्रतिशत से अधिक न हो।

एमएफआइ से पात्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋणों के एसाइनमेंट/आस्तियों के समूह की आउटराइट खरीद जो इस परिपत्र के पैरा VIII में दिए गए दिशानिर्देशों का पालन करते हुए किए हों, इस उच्चतम ब्याज से छूट प्राप्त हैं क्योंकि मार्जिन और ब्याज दर पर अलग से उच्चतम सीमाएं हैं।

ii) बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत वर्गीकृत करने के लिए ऋण आस्तियों की आडटराइट खरीद करने पर बैंक को अंतिम प्राथमिकताप्रापत उधारकर्ता को वास्तविक रुप में वितरित सांकेतिक राशि की सूचना देनी चाहिए और न कि विक्रेता को अदा की गई प्रीमियम राशि की।

iii) एनबीएफसी के साथ किए जानेवाले क्रय/एसाइनमेंट लेनदेन जिसमें निहित आस्तियां स्वर्ण आभूषणों की जमानत पर लिए गए ऋण हैं, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र स्थिति के लिए पात्र नही हैं ।

VII बैंकों द्वारा खरीदे जानेवाले अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र

बैंकों द्वारा जोखिम शेयरिंग आधार पर खरीदे जानेवाले अंतर बैंक सहभागिता प्रमाणपत्र (आइबीपीएस) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने की पात्र होंगी बशर्ते, निहित आस्तियां प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की संबंधित श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने की पात्र हों और बैंक आइबीपीएस पर रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों का पालन करते हों।

VIII माइक्रो फाइनांस संस्थाओं को आगे उधार दिए जाने हेतु बैंक ऋण

(क) व्यक्तियों तथा स्व-सहायता समूहों / संयुक्त देयता वर्गीकृत करने के समूहों को भी आगे उधार दिए जाने हेतु माइक्रो वित्तीय संस्थाओं को 01 अप्रैल 2011 को या उसके बाद दिया गया बैंक ऋण संबंधित श्रेणियों अर्थात् कृषि,

माइक्रो एवं लघु उद्यम, माइक्रो ऋण (अन्य प्रयोजनों के लिए) श्रेणियों में परोक्ष वित्तपोषण के रूप में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के रूप में वर्गीकृत किए जाने का पात्र होगा। परंतु शर्त यह है कि उक्त माइक्रो फाइनांस संस्था की कुल आस्तियों (नकदी, बैंकों / वित्तीय संस्थाओं के पास शेष राशियों, सरकारी प्रतिभूतियों और मुद्रा बाजार के लिखतों से भिन्न) में अर्हक स्वरूप की आस्तियाँ 85 प्रतिशत से कम नहीं हों। इसके अतिरिक्त आय सृजन के कार्यकलापों के लिए प्रदान की गई ऋण राशि, माइक्रो फाइनांस संस्था द्वारा दिए गए कुल ऋण के 75 प्रतिशत से कम न हो।

(ख) माइक्रो फाइनांस संस्था द्वारा वितरित वह ऋण "अर्हक आस्ति" होगा, जो निम्नलिखित मानदण्डों को पूरा करता हो :

(i) ऋण किसी ऐसे उधारकर्ता को दिया गया हो, जिसकी ग्रामीण क्षेत्र में पारिवारिक वार्षिक आय 60,000/- रूपए से अधिक नहीं हो वहीं गैर ग्रामीण क्षेत्र में वार्षिक आय 1,20,000/- रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ii) पहले दौर में ऋण 35,000 रूपए से अधिक न हो और बाद के दौर में 50,000/- रुपए से अधिक न हो।

(iii) उधारकर्ता की कुल ऋणग्रस्तता 50,000/- रूपए से अधिक न हो।

(iv) यदि ऋण राशि 15000/- रूपए से अधिक हो तो उधार लेनेवाले को बिना दण्ड के पूर्व भुगतान करने के अधिकार के साथ, ऋण की अवधि 24 महीने से कम न हो।

(v) ऋण बिना कोलेटरल (संपार्श्विक जमानत) का हो।

(vi) उधारकर्ता की इच्छानुसार ऋण साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक किश्तों में चुकाया जा सकता हैं।

(ग) साथ ही, इन ऋणों को प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋणों के रूप में वर्गीकृत किए जाने हेतु पात्र होने के लिए बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एमएफआई द्वारा मार्जिन और ब्याज दर पर निम्नलिखित उच्चत्तम सीमा (कैप) और "मूल्य-निर्धारण दिशा-निर्देशों" का अनुपालन किया जाता हैं।

(i) सभी एमएफआई के लिए मार्जिन की अधिकतम सीमा (मार्जिन कैप) 12 प्रतिशत होगी। ब्याज लागत की गणना बकाया उधार राशियों के औसत पाक्षिक शेष के आधार पर तथा ब्याज की आय की गणना अर्हक आस्तियों के बकाया ऋण संविभाग के औसत पाक्षिक शेष के आधार पर की जाएगी।

(ii) ब्याज की अधिकतम सीमा की गणना सभी एमएफआई के लिए अलग-अलग ऋणों पर 26% वार्षिक की दर से घटते जाते शेष के आधार पर की जाएगी।

(iii) ऋणों के मूल्य निर्धारण में केवल तीन घटक शामिल किए जाने हैं यथा (क) संसाधन शुल्क जो सकल ऋण राशि के 1% से अधिक न हो, (ख) ब्याज प्रभार और (ग) बीमा प्रीमियम ।

(iv) संसाधन (प्रोसेसिंग) शुल्क को मार्जिन कैप में या ब्याज की अधिकतम सीमा 26% में शामिल नहीं करना है।

(v) केवल बीमा की वास्तविक लागत ही वसूली जाए अर्थात् उधारकर्ता तथा पति / पत्नी के लिए जीवन, स्वास्थ्य और पशुधन के सामूहिक बीमा की वास्तविक लागत; प्रशासनिक प्रभार आईआरडीए के दिशा-निर्देशों के अनुसार वसूल किए जाएं।

(vi) विलंबित भुगतान हेतु कोई दंड न हो।

(vii) किसी प्रकार की जमानत जमाराशि / मार्जिन न लिया जाए।

(घ) बैंकों को चाहिए कि वे प्रत्येक तिमाही के अंत में एमएफआई से चार्टर्ड एकाउंटेंट का एक प्रमाण पत्र प्राप्त करें, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह सूचित किया गया हो कि (i) एफएफआई की कुल आस्तियों का 85% "अर्हक परिसंपत्ति " के स्वरूप का में है, (ii) आय सृजन कार्यकलापों के लिए प्रदान की गई सकल ऋण राशि,

एमएफआई द्वारा प्रदत्त कुल ऋण के 75% से कम नहीं है और (iii) मूल्य-निर्धारण दिशा-निर्देशों का पालन किया गया है।

IX प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य प्राप्त न करना

समग्र प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र लक्ष्य/कृषि लक्ष्य और कमजोर वर्गों के लक्ष्य के संबंध में ऋण प्रदान करने में कमीवाले देशी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों तथा 20 और उससे अधिक शाखाओं वाले विदेशी बैंकों को नाबार्ड के पास स्थापित ग्रामीण बुनियादी विकास निधि (आरआइडीएफ) या रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट प्रकार से एनएचबी/सिडबी/अन्य वित्तीय संस्थाओं में अंशदान करने के लिए राशियां आबंटित की जाएंगी ।

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के लक्ष्य प्राप्त करने में चूक करनेवाले 20 से कम शाखाओं वाले विदेशी बैंकों से अपेक्षित है कि वे रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले ऐसे प्रयोजनों के लिए सिडबी या अन्य वित्तीय संस्थाओं के पास रखी जानेवाली निधियों में अंशदान करें ।

आरआइडीएफ श्रृंखला ट्रांच के आबंटन या समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्णीत प्रकार से अन्य निधियों के आबंटन के प्रयोजन के लिए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋण के 31 मार्च को विद्यमान स्तर को प्राप्त करने को हिसाब में लिया जाएगा। विभिन्न निधियों के अंतर्गत नाबार्ड अथवा इसी प्रकार की अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा उन्हें जरुरत पडने पर, संबंधित बैंक को एक महीने का अगिम नोटिस देने के बाद जमाराशियां आमंत्रित की जाएंगी।

बैंक के आरआइडीएफ अथवा किसी अन्य निधि में अंशदान पर बैंकों की ब्याज दरें, जमाराशियों की अवधि आदि समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित की जाएगी और हर वर्ष भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निधियों को पारिचालन में लाते समय संबंधित बैंकों को इसकी सूचना दी जाएगी ।

रिज़र्व बैंक के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा सूचित गलत वर्गीकरण को उस वर्ष की ऐसी उपलब्धि में समायोजित/ से घटाकर की जाएगी जिस मात्रा तक अवर्गीकरण/गलत वर्गीकरण बाद के वर्षों में विभिन्न निधियों के लिए आबंटन हेतु संबंधित हो।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लक्ष्य, उपलक्ष्य पूरे न करने को विभिन्न प्रयोजनों के लिए विनियामक क्लियरेंस/अनुमोदन देते समय विचार में लिया जाएगा ।

X प्राथमिकता क्षेत्र डाटा रिपोर्टिंग प्रणाली

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र डाटा की वैविध्यपूर्ण और प्रणाली से डाटा जेनेरेट करने की सुविधा के साथ एक पुख्ता रिपोर्टिंग प्रणाली होना उचित मानिटरिंग एवं यथोचित नीति निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक है। अलग दिशा-निर्देश यथासमय जारी किए जाएंगे ।

XI प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र को ऋण हेतु सामान्य दिशा-निर्देश

बैंकों से अपेक्षित है कि वे प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत अग्रिमों की सभी श्रेणियों के संबंध में निम्नलिखित सामान्य दिशानिर्देशों का पालन करें ।

1. ब्याज की दरें

प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋणों की विभिन्न श्रेणियों पर लागू ब्याज दर डीबीओडी द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार रहेगी ।

2. सेवा प्रभार

25,000/- रु. तक के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋणों पर सेवा प्रभार / निरीक्षण प्रभार नहीं लगाया जाए।

3. प्राप्ति, स्वीकृति/ नामंजूर/ वितरण रजिस्टर

बैंक प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋणों एक रजिस्टर/ इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड बनाया जाए जिसमें प्राप्ति की तारीख के अलावा मंजूरी/ नामंजूरी/ वितरण आदि का कारणों सहित उल्लेख किया जाए । सभी निरीक्षणकर्ता एजेन्सियों को उक्त रजिस्टर/ इलेक्ट्रॉनिक रिकार्ड उपलब्ध करवाया जाए।

4. ऋण आवेदनों की पावती जारी करना

बैंकों द्वारा प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र ऋणों के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की पावती दी जाए। बैंक बोर्ड एक ऐसी समय सीमा निर्धारित करें जिसके पहले बैंक आवेदकों को अपना निर्णय लिखित रूप में सूचित करेंगे।

XII संशोधन

ये दिशानिर्देश रिजर्व बैंक द्वारा समय समय पर जारी किए जानेवाले किन्ही अनुदेशों की शर्त के अधीन हैं।

XIII परिभाषाएं

1. ऑनलेंडिंग: बैंकों द्वारा पात्र मध्यस्थ संस्थाओं (इंटरमिडियरीज) को केवल कतिपय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र आस्तियां निर्मित करने के लिए ही आगे ऋण प्रदान करने के लिए स्वीकृत ऋण। इस प्रकार निर्मित प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र की औसत परिपक्वता बैंक ऋण के परिपक्व हो जाने के साथ-साथ समाप्त होनेवाली हो।

2. छोटे और सीमांत किसान एक हेक्टेयर की भूधारक किसान सीमांत किसान कृषक माने जाते हैं। एक हेक्टेयर परंतु 2 हेक्टेयर से कम के भूधारक किसान छोटे किसान के रुप में माने जाते हैं। प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के प्रयोजन के लिए छोटे और सीमांत किसान की परिभाषा में भूमिहीन कृषि श्रमिक, काश्तकार, मौखिक पट्टेदार तथा बंटाइदार शामिल हैं जिनकी भूधारिता का अंश छोटे और सीमांत किसान की ऊपर निर्दिष्ट सीमाओं के भीतर हैं।

संबंधित प्रेस प्रकाशनी	
20 जुलाई 2012	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार - **लक्ष्य और वर्गीकरण पर संशोधित दिशानिर्देश**